

दागज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
आईन्दा दिनांक 25/07/22 को पेश हो।

25/7/22

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अरुण।

जजपालप मसुदा में वादी वकील व वादी को रज्ज, 2  
का तीन बार भावाज लाया गई। न तो वादी  
उपास्थित। न ही वादी वकील उप०। अतः पत्रावली  
अदालत के अदालत कार्यालय में रखी जा सकती है।  
पत्रावली मिसल शुद्ध होकर दाखिल करा दी।  
संख्या से अदालत को। 

